

निर्धारित-फार्म

PH-715

“ प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31.12.2017”

01- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है श्रीमति शानुमति उइके, 3ती खटाई, 02- वर्तमान धारित पद, सहायक सेनानी

मूल वेतन 63100/- / - अगली वेतन वृद्धि की तारीख- अधिवारिक आयु पूरी होने पर सेठिन

जिले, उप भाग तालिका ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसकी नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
खिंदवाडा जिला- खिंदवाडा (अ.प्र.)	बूट (आवासीय)	-	35,00,000/-	स्वयं के नाम पर	क्रय कर/सदाफते जी	-	

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम - श्रीमति शानुमति उइके

पद - सहायक सेनानी

विभाग - 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाडा (MOPRO)